

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद बस्ती मे जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) के सदस्यों व समस्त कार्यदायी संस्थाओं के साथ अधोहस्तक्षरी की अध्यक्षता मे दिनांक 31.07.2026 को आहूत बैठक की कार्यवृत्त :-

### कार्यवृत्त

अधोहस्तक्षरी की अध्यक्षता मे जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) के संगठनात्मक स्वरूप को सुदृढ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) समिति के सदस्यों तथा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) बस्ती के अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक दिनांक 31.07.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में आयोजित की गयी । आयोजित बैठक मे निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया ।

1. जिलाधिकारी बस्ती । (अध्यक्ष)
2. मुख्य विकास अधिकारी । (सदस्य)
3. अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), बस्ती । (सचिव)
4. जिला विकास अधिकारी । (सदस्य)
5. प्रभागीय वनाधिकारी । (सदस्य)
6. जिला मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती । (सदस्य)
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती । (सदस्य)
8. जिला कृषि अधिकारी बस्ती । (सदस्य)
9. जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी बस्ती । (सदस्य)
10. अधिशासी अभियंता भू-गर्भ जल विभाग बस्ती । (सदस्य)
11. अधिशासी अभियंता, वाटर रिसोर्सज/सिचाई खण्ड-04 बस्ती । (सदस्य)
12. समस्त सहायक अभियंता जल निगम (ग्रामीण), बस्ती ।
13. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग बस्ती ।
14. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स वी0एस0ए0 बस्ती ।
15. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स जैक्शन बस्ती ।
16. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स नालन्दा इंजीकॅन बस्ती ।
17. समस्त स्टाफ डी0पी0एम0यु0, जिला प्रयोगशाला टीम एवमं टी0पी0आई0ए0, बस्ती ।

बैठक मे सर्वप्रथम अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा चयनित कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया । जिस पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद में कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है । इसे और बेहतर किया जाय । ग्रामीण क्षेत्रों से सड़क पुनर्स्थापना एवं नियमित जलापूर्ति को लेकर प्रतिदिन शिकायतें प्राप्त हो रही है जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है । तदोपरान्त कार्यदायी संस्थावार निर्माण कार्यों की समीक्षा की गयी जिसका विवरण निम्नवत है:-

**1-मेसर्स मेघा इंजिनियरिंग फेज-2 :-** फर्म द्वारा कुल 211 नग पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 213 नग नलकूप, 211 नग शिरोपरि जलाशय, 211 सोलर अधिष्ठापन, 213 नग पम्प हाऊस व 61920 गृह संयोजन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 211 नग नलकूप, 61 शिरोपरि जलाशय, 210 सोलर अधिष्ठापन, 213 नग पम्पहाऊस व 65921 गृह संयोजन प्रदान किये गए है । शेष कार्य प्रगति पर है ।

**2-मेसर्स मेघा इंजिनियरिंग फेज-3 :-** फर्म द्वारा कुल 460 नग पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 460 नग नलकूप, 460 शिरोपरि जलाशय, 460 सोलर अधिष्ठापन, 460 नग पम्प हाऊस, व 155802 गृह संयोजन प्रदान किया जाना है जिसके सापेक्ष 448 नग नलकूप, 90 शिरोपरि जलाशय, 415 सोलर अधिष्ठापन, 445 नग पम्प हाऊस व 141928 गृह संयोजन प्रदान किये गए है । शेष कार्य प्रगति पर है ।

**3-मेसर्स वी0एस0ए0:-** फर्म द्वारा कुल 80 नग पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 81 नग नलकूप, 80 शिरोपरि जलाशय, 80 सोलर अधिष्ठापन, 81 नग पम्प हाऊस व 31747 गृह संयोजन प्रदान किया जाना है जिसके सापेक्ष 81 नग नलकूप, 79 शिरोपरि जलाशय, 76 सोलर अधिष्ठापन, 79 नग पम्प हाऊस व 31000 गृह संयोजन प्रदान किये गए है । शेष कार्य प्रगति पर है ।

4-मेसर्स जैक्सन विश्वराज :- फर्म द्वारा कुल 102 नग पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 102 नग नलकूप, 102 शिरोपरि जलाशय, 102 सोलर अधिष्ठापन, 102 नग पम्प हाऊस व 33367 गृह संयोजन प्रदान किया जाना है जिसके सापेक्ष 100 नग नलकूप 20 शिरोपरि जलाशय, 70 नग सोलर अधिष्ठापन, 97 नग पम्प हाऊस व 30399 गृह संयोजन प्रदान किये गए हैं। शेष पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

5-डी०टी०यू०-जनपद के 14 विकास खण्डों में डी०टी०यू० पूर्ण कर लिया गया है जिसका डी०टी०यू० के माध्यम से 563 के सापेक्ष 545 का सत्यापन कर लिया गया है। शेष 32 ग्रा०पं० में से 12 ग्रा० पं० के एल०जी०डी० कोड में त्रुटि के कारण इनका डी०टी०यू० का मूल्यांकन लम्बित है तथा 20 ग्राम पंचायत नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत है जिनका मूल्यांकन जल निगम नगरीय द्वारा किया जाना है।

6-हर घर जल :-जनपद के 14 विकास खण्डों के 761 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 601 ग्राम में पूर्ण कर लिया गया है (78.97 प्रतिशत)।

7-जल अर्पण- जनपद के 14 विकास खण्डों में जल अर्पण 245 के सापेक्ष 91 पूर्ण कर लिया गया है

8-नियमित जलापूर्ति :- जनपद में कुल 3 फर्मों द्वारा कार्य किया जा रहा है। 1-मेंसर्स मेघा इंजिनियरिंग फेंज- 2 व फेंज-3 को कुल आवंटित गांव 1924 के सापेक्ष कमीशन 1347 है। जिसमें से नियमित जलापूर्ति 1096 में किया जा रहा है। 2-मेंसर्स वी०एस०ए०- को कुल आवंटित गांव 306 के सापेक्ष कमीशन 250 है। जिसमें से रेगुलर वाटर सप्लाई 231 में किया जा रहा है। 3-मेंसर्स जैक्सन विश्वराज को कुल आवंटित गांव 337 के सापेक्ष कमीशन 199 है। जिसमें से नियमित जलापूर्ति 174 में किया जा रहा है। कुल 2567 के सापेक्ष 1796 कमीशन है व नियमित जलापूर्ति 1501 में किया जा रहा है।

1-अधिकांसी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में जल निगम की 14 पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं। जिनमें से 51% से 75% की 7, 75% से अधिक की 6 एवं 50% से कम की प्रगति की 1 पेयजल योजना है। सभी पेयजल परियोजनाओं को दिसम्बर 2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं को लक्षित समयांतर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

2-जिलाधिकारी महोदया द्वारा फर्म मेसर्स नालंदा को निर्देशित किया गया कि अगले माह की बैठक से पूर्व न्यूनतम 10 ग्राम आंशिक संचालित से पूर्ण, रूप से संचालित किया जाय एवं 10 ग्राम असंचालित से आंशिक संचालित किये जायें। जिस पर अधिकांसी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि अनुरक्षण नीति 2024 के अन्तर्गत 125 नग पेयजल योजनाओं को श्रेणीवार डी०पी०आर० (संचालित/आंशिक संचालित/असंचालित) तैयार कर स्वीकृत हेतु मुख्यालय प्रेषित किया गया था जिसके सापेक्ष उन परियोजनाओं के लिए आंशिक धन आवंटन प्राप्त हुआ है जिसके फलस्वरूप पेयजल योजनाओं पर मरम्मत का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

3-जिलाधिकारी महोदया द्वारा अधिकांसी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) से वर्तमान में जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गयी, और समस्त फर्मों को यह निर्देशित किया गया कि जिन पाइप पेयजल योजनाओं के शिरोपरि जलाशय (OHT) पूर्ण हो गये हैं उनसे ग्राम पंचायतों में जलापूर्ति सूचारु रूप से किया जाय और जहां पर शिरोपरि जलाशय (OHT) अपूर्ण है। उन परियोजनाओं से सीधे पम्प के माध्यम से ग्राम पंचायतों में जलापूर्ति किया जाय। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा मेसर्स मेघा इंजिनियरिंग को 100 ग्रामों तथा मेसर्स जैक्सन विश्वराज को 15 ग्रामों को नियमित जलापूर्ति में ले जाने का लक्ष्य दिया गया

4-जिलाधिकारी महोदया द्वारा अधिकांसी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि शासन की मंशा के अनुरूप एकल पाइप पेयजल परियोजनाओं (SVS) पर यथोचित मैन-पावर उपलब्ध कराते हुए परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जनपद में कार्यरत सभी फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर को आदेशित किया कि सभी परियोजनाओं को ससमय पूर्ण किया जाय।

5-जिलाधिकारी महोदया द्वारा अधिकांसी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को जल आकलन/जल अर्पण /हर घर जल की प्रगति को बढ़ाने को कहा गया।

6-जिलाधिकारी महोदया द्वारा अधिकांसी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि रोड-रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर यथा शीघ्र पूर्ण करा लिया जाय। क्लारिफिकेशन युक्त पेयजल उपलब्ध कराते हुए निर्धारित जलापूर्ति समस्त ग्राम पंचायतों में सुनिश्चित किया जाय।

7-जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि पोर्टल पर इट्रीग्रेटेड योजनाओं का लाइव स्टेटस 331 के सापेक्ष 180 योजनाएँ ही प्रदर्शित हो रही हैं जिसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

समीक्षोपरान्त मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सड़क पुनर्स्थापना, शिकायत निवारण (Grievance) तंत्र तथा AES/JES प्रभावित ग्रामों के प्रत्येक घरों को शत-प्रतिशत FHTC उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा

विवादित/अप्राप्त स्थलों के लिए सम्बन्धित तहसीलों के तहसीलदार व उपजिलाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर प्रकरण का समाधान कराने हेतु DC DPMU को निर्देशित किया गया। पोर्टल पर जल सारथी व नल जल मित्र के पंजीकरण की धीमी प्रगति को बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया तथा समस्त खण्ड विकास अधिकारी (बी0डी0ओ0) को निर्देशित किया गया, कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों से दो नल जल मित्र प्रतिभागियों के नाम उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि पोर्टल पर पंजीकरण किया जा सकें। ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुए पूर्ण/आंशिक संचालित पेयजल योजनाओं से नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाय। यदि कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिथिलता पायी जाती है तो सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को यथाशीघ्र O&M में ले जाना सुनिश्चित करें। जिन परियोजनाओं का Live Status Portal पर Show नहीं हो रहा है, उन्हें तत्काल सही कराया जाये। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक समाप्त करते हुए निर्देशित किया गया की आगामी बैठक में कार्यों के घटकवार वितरण तैयार कर प्रस्तुत किये जाएं जिससे कि निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकें।

अधिसासी अभियन्ता  
सचिव, जिला पेयजल स्वच्छता  
समिति / उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण),  
बस्ती।

अधिसासी अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड-04, बस्ती।

अधिसासी अभियन्ता  
भू-गर्भ जल विभाग, बस्ती।

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी  
बस्ती।

जिला कृषि अधिकारी  
बस्ती।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बस्ती।

जिला विधिस अधिकारी  
बस्ती।

प्रभागीय वनाधिकारी  
वन विभाग, बस्ती।

मुख्य चिकित्साधिकारी  
बस्ती।

मुख्य विकास अधिकारी  
बस्ती।

जिलाधिकारी  
अध्यक्ष, जिला पेयजल स्वच्छता  
समिति बस्ती।

### कार्यालय जिलाधिकारी बस्ती।

पत्रांक / /  
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

दिनांक / / 2026

1. अधिसासी निदेशक, राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (गो0 क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बस्ती।
5. अधिसासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बस्ती।
6. समस्त सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, बस्ती।
7. समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर, कार्यदायी संस्था, बस्ती।

जिलाधिकारी  
अध्यक्ष, जिला पेयजल स्वच्छता  
समिति बस्ती